एटीक

<u>परिचय</u>

केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1957 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार की गई । यह संस्थान देश में केवल एक ऐसा राष्ट्रीय केन्द्र है जहाँ मत्स्यन एवं मत्स्य संसाधन से संबंधित सभी विषयों में अनुसंधान कार्य किया जाता है । अनुसंधान केन्द्र वेरावल (गुजरात) विशाखपट्टणम (ऑंध्रा प्रदेश), बुरला (उडीश) और मुम्बई (महाराष्ट्र) में कार्यरत है ।

इस सूचना के युग में, उपयुक्त सूचना पैकेज की भूमिका एवं उसका प्रसार सामान महत्व रखता हैं । केवल सूचना का प्रजनन करना ही काफी नहीं है बल्कि यह देखा जाना कि आवश्यक सूचना जल्दी से और बिना किसी क्षति से अंतिम उपभोक्ता को प्रदान की जाए । अनुसंधानकर्ता एवं प्रौद्योगिकी उपभोक्ता के बीच अत्यधिक समन्वयन की आवश्यकता है । वैज्ञानिकों एवं भिन्न विषयों के विभाग प्रभारी के बीच औपचारिक प्रबंधन यंत्रावली लेकिन एक ओर परस्पर –निर्भर कार्य और दूसरी ओर प्रौद्योगिकी उपभोक्ता के द्वारा एक उत्तम एकीभवन को प्राप्त किया जाना चाहिए । यह अनुबंध यंत्रावली औपचारिक स्थायी, अधिदेशाधीन, सुसाध्य एवं निर्दिष्ट कार्यों के साथ होनी चाहिए । कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटीक) की स्थापना से सूचना के प्रसार के सहयोग की ओर अनुसंधान केन्द्रों के प्रत्येक यूनिटों के परे यह यंत्रावली सूचना उपलब्ध कराती है । यह किसानों एवं पाणाधरियों दोनों को उनकी समस्याओं के समाधान को उपलब्ध कराने और सभी प्रौद्यागिकियाँ सूचना के साथ प्रौद्योगिकी उत्पादों के परीक्षण एवं प्रयोग के उद्देश्य के साथ एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं ।

उद्देश्य

1. ग्राहकों में आवश्यक विश्वास निर्माण करना और संस्थान एवं ग्राहकों के बीच अनुबंध मजबूत करना ।
2. मत्स्यन उत्पादों के नमूनों के परीक्षण, संवेष्ठन सामग्री, जल एवं बर्फ़, यान सामग्री, प्रलेप, समुद्री इंजन आदि जैसे निदानसूचक एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना
3. मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए गुणता आश्वासन एवं प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराना
4. संस्थान में संचालित अनुसंधान के परिणाम स्वरूप विकसित सुधारित उत्पादों को बेचना एवं वितरण करना ।
5. प्रकाशित साहित्य एवं अन्य सूचना सामग्री के साथ श्रव्य- दृश्य साधनों के द्वारा सुधारित प्रौद्योगिकियों को एक परिदृश्य को उपलब्ध कराना ।
6. सुधारित विशेज्ञता के साथ उत्पाद की प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी प्रसार की क्षति को पार करने के लिए सीधे अभिगमन को उपलब्ध कराना ।

7. अपने प्रौद्योगिकियों की बिक्री के द्वारा संस्थान को संपदा प्रजनन के अवसर और इस के परिणाम स्वरूप केन्द्र में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना ।
8. मत्स्यन संबंधित परियोजनाओं पर तकनीकी – आर्थिक व्यवहार्यता सलाह उपलब्ध कराना और मात्स्यिकी से संबंधित पर्यावरणीय मामलों पर मार्गनिर्देश उपलब्ध कराना ।